UPKU120021272022

**न्यायालय 2nd Addl. Civil Judge (Jr. Div.) Kasia Kushinagar, Kushi Nagar**

**पीठासीन अधिकारी–** (SHASHI KIRAN), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP03803**

**वाद सं० – 1838/2022**

**रामचन्दन बनाम कौशल्या**

**19.02.2024**

पत्रावली में पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत थी।

वादी की तरफ से प्रार्थना पत्र कागज संख्या 15 क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा है। मुकदमें में प्रार्थी के अधिवक्ता से मुकदमें में सारवान तथ्य की कमी और कानूनी नुक्स के कारण मुकदमें महत्वपूर्ण कथन छूट गये है। जिस कारण से प्रार्थी मुकदमा उठा रहे उपरोक्त मुकदमें प्रतिवादिनी भी हाजिर है। उपरोक्त वाद बिना जब्र व दबाब के प्रार्थी मुकदमा उठा रहे हैं। मुकदमा उपरोक्त उठाने का आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त वाद 1838/2022 को वापस लेने और उठाने की कृपा की जावे।

**मौखिक साक्ष्य PW1 रामचन्दन गोड़**

प्रार्थी वादी मुकदमा है। प्रस्तुत वाद में तारिख पेसी 06.04.2024 नियत है किन्तु शपथकर्ता मुकदमा वापस ले रहा है। अब आ०नं० 478 रकवा 99 डिस्मील स्थिति मौजा वेलवा सुदा–मा, तप्पा बद्धौली, पर० सहजहां पुर तह० हाटा जिला– कुशीनगर के बावत कौशिल्या देवी पत्नी स्व० महेश्वर सा० कागां, तप्पा बद्धौली, परद सहजहां पर० सहजहां पुर तह० हाटा जिला– कुशीनगर के विरूद्ध माद न्यायालय में वादपत्र दाखिल किया था। को शपथपत्र / साक्षी विना जोर व दबाब के स्वतन्त्र इच्छा से उपरोक्त वाद वापस ले रहा है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदिद होता है। कि वादी का प्रार्थना पत्र 15 क मय शपथपत्र 16 ग से समर्थित है। प्रार्थी का प्रा०पत्र 15 क स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

वादी का प्रार्थना पत्र कागज संख्या 15 क स्वीकार किया जाता है। वादी को वाद उठाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादी को उक्त वाद के तथ्यों से सम्बन्धित कोई नया वाद संस्थित करने की अनुमति नहीं होगी। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानु–सार दाखिल दफ्तर हो।

**द्वितीय अतिरिक्त सिविल जज (जू०डि०)**
**कसया, कुशीनगर**

Digitally signed by Sushri Shashi Kiran
Date: 2024.02.19 12:07:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court